

पत्रावली सं० 19/2021 सरकार बनाम गुडरिह-म-शाकिर

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
15/02/2021	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री गुडरिह-म-शाकिर पुत्र श्री निवासी में फसल रो/खरीफ सम्वत्/सन् 2021 में गांव/चक नं० 4Bwem के मु० नं० 3 286 में सिंचित व 6.325 अंसिंचित कुल 6.225 बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध कारत की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बोवणूद तामील के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>यह राजकीय भूमि पर अवैध कारत करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्ररनगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कारत की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की गुणा पेनल्टी राशि रु० 2530 अखरे रु० 2530 अतिरिक्त की जाती है।</p> <p>शु अमिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क भुसा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग क्रायत कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्ररनगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।</p>	

2020-2021

211 2530

उप तहसीलदार  
तहसीलदार (पंचजस)

Pier